International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 09-01-2019; Accepted: 11-02-2019
www.advancedjournal.com
Volume 4; Issue 1; January 2019; Page No. 142-144

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: एक आलोचनात्मक अध्धयन

Dr. Hemant Kumar
M.A., Ph.D., Department of Political Science, Maa Omwati Degree College, Hasanpur, Palwal, Haryana, India

सारांश

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में शासन करने की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है | लोकतन्त्र में देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को शासन करने का अवसर प्रदान करती है | साथ ही उनसे यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी | परन्तु कालान्तर मे अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया | उन्होने पारदर्शिता व ईमानदारी की बोटियाँ नोंचने मे कोई कसर नहीं छोड़ी| उन्हें जब –जब अवसर प्राप्त हुआ, उन्होने तब – तब उसे गंवाना उचित नहीं समझा | उन्होने हर वो कार्य किया जो जन विरोधी व आलोकतांत्रिक था | देश का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप मे सरकार को टैक्स अदा करता है | यही टैक्स देश के विकास व व्यवस्था की आधारशिला है | इसलिए जनता को यह जानने का हक है की वह पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है | इसके लिए यह आवश्यक था कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं उसे प्राप्त करने का अधिकार जनता को प्रदान किया जाए, जो कि एक कानून द्वारा ही संभव था | 1992 मे विश्व बैंक ने "प्रशासन और विकास"नामक एक दस्तावेज़ जारी किया | उस दस्तावेज़ ने अच्छे शासन के लिए 7 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया, जिसमे एक "सूचना और पारदर्शिता" का अधिकार भी था | अत: इन सभी को आधार बनाकर 15 जून 2005 मे "सूचना का अधिकार" निर्मित किया गया | इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य था कि सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के निर्णय, संचालन व सबंधित सभी फाइल व दस्तावेजों की जानकारी जनता को उचित रूप से व कम से कम फीस पर प्राप्त हो सके | एक शोध दृष्टिकोण से इस लेख का उद्देश्य संवैधानिक तर्क को स्पष्ट करना है | "सूचना का अधिकार" जिसमे मुख्यत: दो विशिष्ट सिद्धान्त होते है, प्रथम खुलापन और पारदर्शिता तथा दूसरा गुप्तता | सही मायनों मे इस अधिकार का मुख्य प्रयोजन सरकारी दस्तावेजों तक आम जनमानस की पहुँच बनाना है |

मूल शब्द : लोकतान्त्रिक शासन, सूचना का अधिकार, टैक्स |

प्रस्तावना

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है | इस देश मे लोकतन्त्र को बचाए रखने के लिए समय – समय पर कानून बनाए और उनमे बदलाव किए जाते है | सूचना का अधिकार भी इसी तरह का एक कानून है, जिसके अंतर्गत देश का लोकतन्त्र मजबूत होता है साथ ही प्रशासनिक कार्यों मे आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है | लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि आम नागरिक जागरूक हों | विश्व के कई देशों मे "सूचना का अधिकार कानून" पहले से ही लागू है | एक लोकतान्त्रिक देश होने के कारण भारत मे भी "सूचना का अधिकार" कानून की आवश्यक्ता एक लम्बे अरसे से महसूस की जा रहि थी | अत: लोकतन्त्र की आवश्यक्ता व जन भावनाओ को ध्यान मे रखते हुए भारतीय संसद मे "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" पारित किया गया तथा इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम जम्मू – काश्मीर को छोड़कर पूर्णत: समस्त भारत मे लागू हो गया | "सूचना का अधिकार" भारतीय संविधान के अनुछेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मोलिक अधिकारों का एक भाग है | अनुछेद 19(1) अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 मे राजनारायन बनाम उत्तर प्रदेश मुकदमे मे कहा तथा की "जानकारी के अभाव मे व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता" | अत: "सूचना का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 19 मे अंतेर्निहित है | इसी मुकदमे मे सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा की "भारत एक लोकतान्त्रिक देश है तथा लोकतन्त्र मे जनता ही वास्तविक मालिक होती है,अत: मालिक को यह अधिकार होता है कि वह सरकार जो जनता की सेवक है, उसकी कार्य प्रणाली के विषय मे पूरी जानकारी रखे" | अत: सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मोलिक अधिकार माना है | सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने नागरिकों के इस अधिकार को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया है | यह नया कानून नागरिकों को सरकारी तंत्र और उसकी प्रक्रिया के बारे मे विस्तार से बतलाता है तथा उन तरीकों को भी स्पष्ट करता है जिससे नागरिकों को कहाँ से सूचना मिल सकती है,कहाँ आवेदन प्रस्तुत करना है और कितनी फीस देनी पड़ेगी | सूचना का अधिकार लागू होने से भारत विश्व का 55वां ऐसा देश बन गया है जहां देशवासियों को कानून के माध्यम से किसी भी विभाग, केंद्र अथवा परियोजना से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है |

अर्थ

" सूचना का अधिकार" से तात्पर्य सूचना पाने के अधिकार से है | जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है | सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है | भारत के किसी भी व्यक्ति को भारत मे स्थित सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों, प्रतिष्ठानो तथा सरकारी संगठनो, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है या प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित है, से इन कार्यालय के कार्यों और गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है |

कानून की आवश्यक्ता

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी रूप मे कर प्रदान करता है | यहाँ

तक की एक सुई से लेकर एक माचिस तक का कर अदा करता है | सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाजार से कोई समान खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि अदा करता है | यही कर देश के विकास और व्यवस्था को रफ्तार प्रदान करता है | अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 250 वर्षों तक शासन किया और इसके मध्य ब्रिटिश सरकार ने भारत मे शासकीय गोपनियता अधिनियम 1923 बनाया,जिसके अनर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी सूचना को गोपनीय कर सकेगी | सन 1947 मे भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान मे इसका कोई भी वर्णन नहीं किया | और न ही अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए "शासकीय गोपनियता अधिनियम 1923" का संशोधन किया | आने वाली सरकारे "शासकीय गोपनियता अधिनियम 1923" कि धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठा कर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही | अत: सरकार और अधिकारियों के कम – काज मे सुधार लाने या पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रयास अत्यधिक आवश्यक था | देश मे फैला भ्रष्टाचार और उच्च पद पर आसीन अधिकारियों मे व्याप्त लाल फीताशाहि पर भी नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था | भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो आज पूरे देश को खाये जा रहा था उससे देशवाशियों को बचाने के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यक्ता थी जिसके माध्यम से आम नागरिकों की पहुँच सरकारी निर्णयों, सभी सरकारी फाइलों, सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानो के कार्यों तक निशुल्क रूप से हो सके | अत: इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि के साथ खुलेपन और पारदर्शिता के सिद्धान्त को बढ़ावा देते हुए "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के रूप मे कानून का निर्माण किया गया |

सूचना के अधिकार का वैश्विक परिदृश्य

यदि हम वैश्विक पटल पर सूचना के अधिकार को देखें तो स्वीडन सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश था | विश्व मे सर्वप्रथम स्वीडन ने "सूचना का अधिकार कानून" 1766 मे लागू किया | स्वीडन का अनुसरण करते हुए अन्य देशों ने काफि समय के अन्तराल मे "सूचना की स्वतन्त्रता कानून" लागू किया | जैसे कि 1951 मे फ़िनलैंड ने सूचना की स्वतन्त्रता कानून को अधिनियमित किया | इसी प्रकार से 1970 मे डेनमार्क तथा नार्वे ने सूचना के अधिकार के सिद्धान्त को अधिनियमित किया | संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार "सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम 1966" के माध्यम से प्रदान किया | इसके उपरांत 1974 मे दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम मे संशोधन किया गया | प्रथम छूट को सीमित करने के लिए तथा दूसरे जानकारी को रोकने या मनमाने ढंग से कार्य करने पर दण्ड प्रदान करने के लिए | इसके उपरांत फ्रांस, नीदरलैंड, और आस्ट्रिया ने 1970 के दशक मे इसी प्रकार के कानून का निर्माण किया | इसी श्रंखला मे कनाडा, आस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड ने भी इसी प्रकार के कानून का निर्माण 1982 मे किया | 1997 मे थाईलैंड व आयरलैंड तथा सन 2000 मे बुल्गारिया ने इस प्रकार के कानून का निर्माण किया | दक्षिण अफ्रीका का संविधान स्वमेव ही "सूचना के अधिकार" की गारंटी देता है | साथ ही सन 2000 मे सरकार ने इसे नागरिकों के लिए बहुमत के द्वारा और अधिक मजबूती प्रदान की है | ग्रेट ब्रिटेन मे "फुल्टन–कमेटी"(1966 –1968) को सार्वजनिक प्रशासन मे बहुत अधिक गोपनियता मिली |अत: इसके द्वारा "आधिकारिक गोपनियता अधिनियम –1911" मे जांच के लिए सिफ़ारिश की गयी | इसी तरह की सिफ़ारिश फ्रेंक सिमिति के द्वारा 1972 मे भी की गयी| इसलिए 1988 मे अधिनियम के आधिकारिक दायरे को कम करने के लिए संशोधन किया गया था | अंतत: "यू० के० स्वतन्त्रता अधिनियम" 1 जनवरी 2005 को लागू हुआ |

सूचना के अधिकार की एतिहासिक पृष्ठ भूमि

भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्पष्ट रूप से "सूचना का अधिकार" प्रदान नहीं किया है | सूचना के अधिकार के प्रति कुछ सजगता सन 1975 के आरम्भ मे "उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायन" केस से हुई| इस केस की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय मे हुई, जिसमे न्यायालय ने लोक प्राधिकारी को यह आदेश दिया कि सार्वजनिक कार्यों का व्योरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए | इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दायरा बढ़ाकर "सूचना के अधिकार" को शामिल कर दिया | हालांकि भारत मे अन्य कानून भी है जो सूचना प्रदान करने को प्रतिबंधित करते है तथा शासन की गुप्तता का पक्ष लेते है जैसे :-

1) भारतीय साक्ष्य अधि० – 1872
2) आधिकारिक गुप्तता अधि० – 1923
3) जाँच आयोग अधि० – 1952
4) आल इंडियन सर्विसेज अधि०(कंडक्ट) -1954
5) सेंट्रल सिविल सर्विसेज अधि०(कंडक्ट) – 1955
6) रेलवे सर्विसेज अधि० (कंडक्ट) 1956
7) पाँचवा वेतन आयोग (1994 -1997)

ने आधिकारिक गोपनियता अधिनियम को समाप्त करने की सिफ़ारिश की तथा "सूचना के अधिकार" अधिनियम से अवगत कराया | सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारम्भ हुई | राज्य मे सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक मे जनांदोलन की शुरुआत हुई, जिसमे "मजदूर किसान शक्ति संगठन" (एम० के० एस० एस०) द्वारा अरुणा राय की अगुवाई मे भ्रष्टाचार के भांडा फोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप मे हुई | 1989 मे कांग्रेस की सरकार के पतन के उपरांत श्री वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री पद पर आसीन हुए जिन्होने "सूचना का अधिकार" कानून बनाने का वायदा किया | 3 दिसम्बर 1989 को उन्होने अपने प्रथम संदेश मे संविधान मे सशोधन करने के घोषणा की | परन्तु सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकी | वर्ष 1997 मे केंद्र सरकार ने एच० डी० शोरी की अध्यक्षता मे एक कमेटी गठित करके मई 1997 मे "सूचना की स्वतन्त्रता" का प्रारूप प्रस्तुत किया | परन्तु शोरी कमेटी के इस प्रारूप को संयुक्त मोर्चे की दो सरकारों ने दबाए रखा | वर्ष 2002 मे संसद ने " सूचना की स्वतन्त्रता विधेयक" (फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन बिल) पारित किया गया| इस बिल को जनवरी 2003 मे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली, परन्तु इसकी नियमावली के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया | संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू० पी० ए०) की सरकार ने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम मे " पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज "बनाने के लिए 12 मई 2005 मे "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" को संसद मे पारित किया | जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई | अंतत 12 अक्टूबर 2005 को यह "सूचना का अधिकार कानून" जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सारे भारत मे लागू किया गया | साथ ही सूचना की स्वतन्त्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया |इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पूर्व 9 राज्यों ने इस कानून को पहले से ही लागू कर रखा था | जिनमे तामिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र ने 2002, तथा जम्मू – कश्मीर ने 2004 मे लागू किया |

प्रावधान

1) यह आम जन के अनुरोध पर सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग मे एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान करता है |
2) यह अधिकार जानकारी प्रदान करने के लिए 30 दिनो की समय सीमा प्रदान करता है |
3) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी | अन्य व्यक्तियों के लिए उचित शुल्क के आधार पर उपलब्ध करने का प्रावधान है |
4) समस्त सरकारी विभाग व सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं व पब्लिक सैक्टर यूनिट इसके दायरे मे आते है | पूर्णत: से निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे मे नहि आते, परंतु सरकारी विभाग किसी भी निजी संस्था से कानून के तहत जानकारी मांग सकता है |
5) यदि सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या निर्धारित समय सीमा मे सूचना उपलब्ध नहि कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रूपये प्रति दिन के हिसाब से 25000 रूपये तक जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है, साथ ही उसे सूचना भी प्रदान करनी होगी |
6) लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहि है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण जन सके |
7) दस्तावेजों कि प्रति लेने के लिए फीस प्रदान करनी होगी | केंद्र सरकार ने यह फीस 2रु प्रति पृष्ट निर्धारित की है |
8) यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है की मांगी गयी सूचना उसके विभाग से संबन्धित नहि है तो 5 दिन के अन्दर संबन्धित विभाग को भेजे तथा आवेदक को भी सूचित करे |
9) लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इन्कार करता है या परेशान करता है तो इसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है |
10) जन सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 मे दिए गए विषयों से संबन्धित जानकारी प्रदान करने के लिए मना कर सकता है, यदि यह सूचना जनहित मे मांगी जा रहि है तो सूचना प्रदान की जा सकती है |
11) सूचना से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 30 दिन के अन्दर संबन्धित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है |
12) यदि आवेदन कर्ता प्रथम अपील से सन्तुष्ट नहि होता है तो दूसरी अपील 60 दिनो के अन्दर राज्य सूचना आयोग या केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष कर सकता है |

आलोचना

उपरोक्त प्रावधानों को देखने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम से लाभ तो है परन्तु इसके उपरांत भी यह आलोचनाओं से अछूता नहि रहा है | इस अधिनियम कि कई आधारों पर आलोचना कि गई है | यह अधिनियम लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार तो प्रदान करता है परन्तु जानकारी किस आधार पर प्राप्त कि जाए, इस बारे मे शिक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहि है | जो कि एक ऐसे देश मे आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ निरक्षरता और गरीबी उच्चतम स्तर पर है | नए अधिनियम के बारे मे हम कह सकते है कि व्यापक शिक्षा और जागरूकता के बगैर यह केवल कागजी शेर होगा | यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को जो विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है वह शक्तियाँ सूचना अधिकारी कि भूमिका को संदिग्ध बनाती है | विधेयक पर सबसे गंभीर आरोप आलोचकों कि तरफ से जो हैं वह यह है कि सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा कानून, प्रवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा से संबन्धित जानकारी पर प्रतिबन्ध जायज है | परन्तु सूचना का अधिकार मंत्रियों, सचिवों, और अन्य अधिकारियों कि परिषद के रिकार्ड सहित केबिनेट पत्रों को भी इसी व्यवस्था मे रखता है जो इस अधिनियम कि भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है | अधिनियम कि एक और कड़ी आलोचना हाल ही मे किया गया संशोधन है जिसे अधिनियम के दायरे से मुक्त करने के लिए सामाजिक और विकास परियोजनाओं से संबन्धित फाइल नोटिंग कि अनुमति दी जानी चाहिए थी | जब सरकार कि नीति बनाने कि बात आती है तो फाइल नोटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है | यह वह नोट्स है जो कार्यों के पीछे तर्क या कुछ नीति मे परिवर्तन,एक निश्चित अनुबन्ध क्यों दिया जाता है या एक भ्रष्ट अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी क्यों रोक दी गयी थी, इसकी जानकारी होती है | परन्तु इस अधिनियम के दायरे से फाइल नोटिस को मुक्त करने का सरकार का इरादा आलोचनात्मक है |

उपसंहार

भारत मे "सूचना का अधिकार अधिनियम" लागू होने से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है | इस अधिनियम द्वारा सरकार की अपारदर्शी व मनमानी प्रणाली पर अंकुश लगेगा | एक आम को सशक्त बनने से ही देश महानता की ओर अग्रसर हो सकता है | "सूचना का अधिकार" कानून की अवधारणा निशिचित रूप से उपयोगी है तथा इसका उद्देश्य भी कल्याणकारी है | परन्तु वास्तविकता से जुडने से इसके सामने कई चुनोतियाँ है | एक ओर जहाँ कार्यपालिका की इसमे महत्वपूर्ण भूमिका है तो दूसरी तरफ अधिकारिगण अपने ऊपर पड़ने वाले राजनैतिक दबावों से अपने आप को किस तरह से अलग रख पाएगें तथा क्या इस कानून का लाभ लोगों तक पहुँचा सकेंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा | आवश्यक्ता इस बात की है कि अच्छी सोच रखने वाले लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े है, इस व्यवस्था मे सम्मिलित करना एक सकारात्मक कदम होगा | चूंकि इस अधिनियम का निर्माण जनता के हितों को ध्यान मे रखकर किया गया है | इसलिए यह आवश्यक है कि जनता कि जरूरतों को समझने वाले निपुण गुणवान लोगों को तरजीह दी जाए | सूचना आयोग के पदों पर यथा संभव निष्पक्षता एवं ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे न्यायधीशों,कानूनविदों,और समाजसेवियों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों के हित पूरे हो सकें | अत: कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू कर भारत सरकार ने वास्तविक स्वराज प्राप्ति कि दिशा मे एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण कदम उठाया है |

सन्दर्भ – सूचि

1. श्री चन्द जैसवाल, मीडिया(केन्द्रीय हिन्दी सस्थान की त्रिमासिक पत्रिका), केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली, अप्रैल – जून 2006
2. अनीश भसीन, जानिए मानव अधिकारों को,प्रभात प्रकाशन, 2011
3. डॉ० बी० एल० फड़िया,लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2013
4. जे० पी० सिंह, समाज शास्त्र: अवधारणा एवं सिद्धांत,पीएच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013
5. विकिपीडिया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005